उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

निविदा आमंत्रण सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु कोरियर सेवा प्रदाता फर्म की आवश्यकता है | इच्छुक फर्म निविदा की विस्तृत जानकारी, आवेदन फ़ार्म एवं शर्तो हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें | विश्वविद्यालय में निविदा स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से पहुंचने की अंतिम तिथि 20.02.2018, समय 5.00 PM है |

कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ,

ट्रांसपोर्टनगर के पीछे , विश्वविद्यालय मार्ग , तीनपानी बायपास, हल्द्वानी ,263139

www.uou.ac.in, 05946-286000

<u>मूल्य - रु० 100.00</u>

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र</u>

फर्म का नाम : ---

फर्म का पता : ---

फर्म का स्टेटस (Sole Properitor /Firm / Company)---

फर्म के प्राधिकृत संपर्ककर्ता का नाम : ---

संपर्ककर्ता का फोन / मोबाईल नंबर : ---

फर्म का ई मेल : ---

टेंडर के साथ निम्न प्रमाणपत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. फर्म / फ्रेंचाइजी / सोल प्रोपराइटर के पैन कार्ड की छायाप्रति |
2. फर्म / फ्रेंचाइजी / सोल प्रोपराइटर के सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0 तथा अन्य पंजीकरण की छायाप्रति |
3. फर्म / फ्रेंचाइजी / सोल प्रोपराइटर के टर्नओवर संबंधी सी0ऐ0 की ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 की |
4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डी०डी० के रूप में वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पक्ष में रु०25,000.00 मात्र की धरोहर राशि मूल रूप में संलग्न |
5. विश्वविद्यालय लेखा रसीद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डी०डी० के रूप में वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पक्ष में रु० 100.00 मात्र की राशि मूल रूप में निविदा प्रपत्र शुल्क संलग्न |
6. फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वरा ब्लेक लिस्ट ना होने सम्बंधी एफिडेविट ।

फर्म अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(Authorized Signatory of Firm)
With Seal of Firm

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

फर्म का नाम : ---

फर्म का पता : ---

फर्म का स्टेटस (Sole Properitor /Firm / Company)---

फर्म के प्राधिकृत संपर्ककर्ता का नाम : ---

संपर्ककर्ता का फोन / मोबाईल नंबर : ---

फर्म का ई मेल : ---

फर्म / फ्रेंचाइजी / सोल प्रोपराइटर द्वारा दी गयी दरों का विवरण (निम्न तालिका में भरें)

क्र० स०	**क्षेत्र**	**Up to 100 Km. Distance**	**From 101-200 Km. Distance**	**More Than 200 Km. Distance**
दर 50.000 कि०ग्रा० वजन हेतु समस्त देयको सहित	उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र	Rs.	Rs	Rs
	उत्तराखण्ड मैदानी क्षेत्र	Rs	Rs	Rs

फर्म अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(Authorized Signatory of Firm)
With Seal of Firm

<u>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की पाठय्सामग्री को कोरियर सेवा के माध्यम से प्रेषण किये जाने हेतु निविदा की शर्तें एवं प्रतिबंध।</u>

<u>दिनांक 31 जनवरी 2018</u>

1. विश्वविद्यालय की पाठय्सामग्री को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्टडी सेन्टरों में भेजने हेतु प्राप्त निविदा मूल्य रू0 100.00 (रूपये एक सौ मात्र) की रसीद निविदा के लिफाफे में संलग्न करनी आवश्यक होगी। यदि निविदा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट से निकाला गया हो तो, इसकी मूल्य की राशि रू0 100.00 (रूपये एक सौ मात्र) का डी0डी0 वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से तैयार कर निविदा फार्म से साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। बिना रसीद अथवा डी0डी0 के निविदा प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. एक वर्ष में लगभग 2500 से 4000 कुन्तल पाठय सामग्री को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्रों में भेजा जाना प्रस्तावित है।
3. पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र को दिनांक 20 फरवरी 2018 कार्यालय समय सायं 05:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व भी पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्राप्त कराना आवश्यक होगा। बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
4. निविदा दिनांक 21 फरवरी 2018 को अपराहनः 1:00 बजे निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। फर्म के प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रह सकते हैं।
5. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगीं।
6. फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें वित्तीय वर्ष 2018–2019 अथवा एक वर्ष तक मान्य होगी। सन्तोषजनक सेवाओं के दृष्टिगत इसे एक वर्ष के लिये विस्तारित करने पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।
7. निविदा प्रपत्र के साथ फर्म द्वारा रू0 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से डी0डी0 के रूप में वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम निर्गत हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. निविदा दाता टेक्नीकल बिड एवं वित्तीय बिड अलग अलग लिफापे में निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

9. तकनीकी बिड में आयकर/पैन नम्बर, व्यापार कर , जी0एस0टी0 पजींकरण, सर्विस टैक्स, धरोहर राशि, फर्म का किसी संस्था अथवा कम्पनी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पार्टनरशिप हो तो उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद/डी0डी0 प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. वित्तीय विड में गन्तब्य स्थान की दरें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
11. कम से कम तीन निविदाये प्राप्त होने पर ही निविदाये खोली जायेंगीं। तीन से कम निविदा प्राप्त होने की दशा में निविदा हेतु एक सप्ताह की अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
12. पुस्तक प्रेषण हेतु कोरियर से सम्बन्धित फर्मों का न्यूनतम दर के आधार पर सूचीकरण किया जायेगा। जो भी फर्म न्यूनतम दर पर कार्य करने की इच्छुक होगी उसको अलग से न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करना होगा।
13. कोरियर सेवाओं से सम्बन्धित प्रदाताओं का पेनल बढाया–घटाया जा सकता है।
14. जिस भी फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसके द्वारा निविदा को वापस लेने अथवा निविदा में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की दशा में विश्वविद्यालय के पक्ष में रखी गयी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. जिस फर्म की निविदाये अस्वीकृत हो जायेगी उससे सम्बन्धित धरोहर राशि एक माह के अर्न्तगत सम्बन्धित फर्म को वापस कर दी जायेंगी।
16. कोरियर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा कोरियर से सम्बन्धित पार्सल/50 किलोग्राम तक का 01 या इससे अधिक के बैग/बोरे को विश्वविद्यालय के एम0पी0डी0डी0 अनुभाग के गोदाम से स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा तथा निर्धारित दर के आधार पर गन्तब्य स्थान या पुस्तक वितरण अनुभाग द्वारा बताये गये स्थान पर डिलीवर करना होगा।
17. कोरियर सेवा फर्म को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त भविष्य में किसी भी प्रकार की सेवाओं में कमी अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर फर्म को उसका त्वरित समाधान करना होगा अन्यथा की स्थिति में विभाग स्वतंत्र होगा कि वह फर्म पर विधिसम्मत कार्यवाही करे, अथवा धरोहर राशि जब्तीकरण की कार्यवाही अथवा काली सूची मे डालने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।
18. त्रुटिपूर्ण डिलीवरी पर सम्पूर्ण व्यय–भार का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार से क्षति पहुचाये जाने पर क्षतिपूर्ति किया जाना फर्म का दायित्व होगा।

19. फर्म का यह दायित्व होगा कि वह पाठय्पुस्तक विभाग से सामग्री प्राप्त करने के 01 सप्ताह के अर्न्तगत गन्तब्य स्थान अथवा निर्धारित स्थान/अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र पर समाग्री की प्राप्ति सुनिश्चित करायेगा, और उसकी प्राप्ति रसीद मुहर सहित विश्वविद्यालय के एम0पी0डी0डी0 विभाग में प्रस्तुत करेगा। बिलम्ब के लिये 20 प्रतिशत की धनराशि बिल से कटौती की जायेगी। इसके लिये अलग से अनुबंध किया जायेगा।
20. आयकर/व्यापार कर/जी0एस0टी0/सेवा कर/फ्यूल चार्जेज यदि कोई हों तो वे फर्म द्वारा देय होगें। फर्म से अपेक्षा है कि वे दरें भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरें समस्त चार्जेज सहित हों। अनुबंध के हस्ताक्षर के उपरान्त दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
21. विश्वविद्यालय को एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. मुख्य लिफापे के उपर कोरियर सेवा प्रदाता हेतु निविदा लिखा जाना अनिवार्य है। लिफापे के बायीं ओर फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल संख्या लिखना आवश्यक है।
23. विश्वविद्यालय हित में कार्य सम्पादन को सुनिश्चित करवाने हेतु कुलसचिव को अन्य शर्तें लागू करने का अधिकार है, जो निविदादाताओं को मान्य होंगी।
24. वित्तीय निविदा पर अन्तिम निर्णय कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी का होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में मा0 कुलपति जी का निर्णय अतिंम एवं सर्वमान्य होगा।

कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

हल्द्वानी, जिला नैनीताल।